

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 17 / 2025

प्रार्थनी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. भंवरीदेवी पत्नि जीयाराम जाति जाट निवासी पायला कला तहसील सिणधरी		1. सतारमोहम्मद पुत्र सदीकखां 2. सफीमोहम्मद पुत्र सदीकखां, जातियान—मुसलमान 3. वंशाराम पुत्र गुणेशाराम 4. मेगाराम पुत्र पूनमाराम 5. रुपाराम पुत्र पूनमाराम 6. ओमप्रकाश पुत्र दीपाराम 7. देवीलाल पुत्र दीपाराम 8. झीणीदेवी पत्नी दीपाराम 9. टीकमाराम पुत्र गुणेशाराम 10. बाबूलाल पुत्र गुणेशाराम 11. मूलाराम पुत्र आम्बाराम 12. राणाराम पुत्र आम्बाराम 13. खमादेवी पत्नी आम्बाराम, जातियान—घाची, निवासी—पायलां कलां, तहसील—सिणधरी, जिला—बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम
1956 (वास्ते—विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति—

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता प्रार्थनी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 24.04.2025



1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थनी का खेत तहसील सिणधरी पटवार क्षेत्र पायला कलां के ग्राम पायलां कलां के खेत खसरा संख्या 884 / 522 रकबा 0.

2427 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थनी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थनी द्वारा खेत सिणधरी पटवार क्षेत्र पायला कलां के ग्राम पायलां कलां के खेत खसरा संख्या 884/522 रकबा 0.2427 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थनी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थनी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत सिणधरी पटवार क्षेत्र पायला कलां के ग्राम पायलां कलां के खेत खसरा संख्या 884/522 रकबा 0.2427 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा सिणधरी पटवार क्षेत्र पायला कलां के ग्राम पायलां कलां के खेत खसरा संख्या 884/522 रकबा 0.2427 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थनी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि सिणधरी पटवार क्षेत्र पायला कलां के ग्राम पायलां कलां के खेत खसरा संख्या 884/522 रकबा 0.2427 हैक्टेयर भूमि प्रार्थनी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्ड सहखातेदा है, और रिकार्ड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थनी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थनी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थनी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर सिणधरी पटवार क्षेत्र पायला कलां के ग्राम पायलां कलां के खेत खसरा संख्या 884/522 रकबा 0.2427 हैक्टेयर भूमि के चारो

तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणघरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणघरी
आदेश आज दिनांक 24.04.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सिणघरी